न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
उपस्थित : विकास कुमार–प्रथम, उच्चतर न्यायिक सेवा
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–561/2026
मोहन सिंह प्रति उत्तर प्रदेश राज्य

आदेश

मुकदमा अपराध संख्या 309/2025, धारा 80,85,115(2) भारतीय न्याय संहिता एवं धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना मगोर्रा, जिला मथुरा के प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **मोहन सिंह** की ओर से स्वयं को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने के लिए यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

2– अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, वादी पक्ष के निजी विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी को सुना, साथ ही पत्रावली का अवलोकन किया।

3– आवेदक/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र एवं समर्थित शपथपत्र पर बल देते हुए मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है, उसको झूठा फँसाया गया है, उसने कोई कथित अपराध कारित नहीं किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट विलंबित है। चिकित्सीय साक्ष्य से अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं होता है और चिकित्सीय साक्ष्य प्रथमदृष्टया इस बात की पुष्टि करता है कि मृतका की हत्या नहीं की गई, बल्कि उसने स्वयं आत्महत्या की है। वादी ने अपनी दो पुत्रियों रेनू व मोनिका (मृतका) का विवाह एक ही मंडप के नीचे एक साथ एक ही दिन अभियुक्त दीपक व संदीप के साथ किया था, जो प्रथमदृष्टया यह दर्शाता है कि वादी की आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी, इसी कारण उसके द्वारा दो पुत्रियों का विवाह एक साथ किया गया था। मृतका की ससुराल में मृतका को किसी प्रकार का कोई दुख या परेशानी नहीं थी। आवेदक/अभियुक्त या उसके किसी भी परिवारीजन द्वारा मृतका या उसकी बड़ी बहन रेनू से न तो कभी किसी दहेज की माँग की गई और न ही दहेज की खातिर उन्हें तंग, परेशान या प्रताड़ित किया गया। रेनू राजीखुशी व सुखपूर्वक अपने पति दीपक के साथ रह रही है और उसको आवेदक/अभियुक्त या उसके परिवारीजन से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। मृतका का विवाह वादी ने उसकी इच्छा व मर्जी के विरूद्ध आवेदक/अभियुक्त के पुत्र संदीप के साथ किया था। मृतका संदीप को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उसके साथ रहने को राजी नहीं थी। इस कथन की पुष्टि संदीप व उसकी सास श्रीमती मछला, जोकि वादी की पत्नी है, के बीच हुए वार्तालाप व वादी की बड़ी पुत्री रेनू व मछला के बीच हुए वार्तालाप आदि से होती है, जिसकी फोन की ओडियो रिकार्डिंग की हिंदी ट्रांसस्क्रिप्ट शपथपत्र का भाग है। मृतका अपने पति संदीप के साथ रहना नहीं चाहती थी और चाहे जब किसी न किसी बहाने से अपने मायके चली जाती थी। वादी समाज के बीच अपनी बदनामी से बचने को मृतका को जबरन ससुराल भेजता था, जिससे वह खिन्न रहती थी। दिनांक 23.10.2025 को मृतका को उसकी इच्छा के विरूद्ध जबरन मृतका की माँ मछला, पिता/वादी संजय व भुल्लन अपने साथ मृतका की ससुराल लाए और उसे संदीप के पास छोड़ गए। मृतका न तो संदीप के साथ सम्बन्ध रखती थी और न ही उससे सम्बन्ध रखना चाहती थी, दूसरी तरफ अपने माता–पिता के दबाव की वजह से वह अत्यंत तनावग्रस्त थी, इसी के चलते उसने उस समय मकान के प्रथम तल पर बने

Digitally signed by VIKAS KUMAR
Date: 2026.03.30 17:11:35 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अपने कमरे का दरवाजा बंद कर फाँसी लगाकर आत्महत्या कर ली। जब आवेदक/अभियुक्त की पत्नी गुड्डी देवी व उसकी पुत्री पूजा घटनास्थल से 150–200 मीटर दूर स्थित अपने प्लॉट पर काम कर रही थीं। मृतका का पति संदीप पड़ौसी पंकज की पत्नी गायत्री की डिलीवरी के सिलसिले में भरतपुर गया हुआ था और आवेदक/अभियुक्त का पुत्र दीपक ई०कार्ट कंपनी औरंगाबाद पुल के पास, मथुरा में अपनी ड्यूटी पर था। आवेदक/अभियुक्त घटना वाले दिन नोएडा में अपनी ड्यूटी पर था, जिसने घटना की सूचना मिलने पर अपने मोबाइल से 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। मृतका द्वारा फाँसी लगाकर आत्महत्या किए जाने के वक्त घर में मृतका व उसकी बड़ी बहन सह–अभियुक्ता रेनू ही मौजूद थे, उनके अलावा कोई अन्य व्यक्ति घर में मौजूद नहीं था। मृतका, रेनू से अपने कमरे से अपने कपड़े लेने की कहकर अपने कमरे में गई थी। मृतका जब काफी समय तक अपने ऊपर के कमरे से निकलकर नहीं आई तो रेनू द्वारा जंगले से देखे जाने पर घटना के सम्बन्ध में उसको जानकारी हुई, उसके चीखने–चिल्लाने पर आस–पड़ौस के लोग आए, जिन्होंने कमरे की किवाड़ तोड़कर मृतका को फाँसी के फंदे से अलग किया, लेकिन तब तक मृतका की मृत्यु हो चुकी थी। आवेदक/अभियुक्त द्वारा घटना की सूचना वादी को दिए जाने पर वादी अपने परिवार के साथ मृतका की ससुराल आया और अपनी बड़ी पुत्री रेनू से घटना के विषय में पूछताछ की और जब रेनू द्वारा सच्चाई एवं वास्तविकता वादी को बताई गई तो वादी ने रेनू को वादी द्वारा लगाए जाने वाले मिथ्या आरोपों का समर्थन करने के लिए रेनू से कहा, जिसके लिए रेनू द्वारा इंकार करने पर वादी व उसके परिवारीजन ने रेनू के साथ मार–पीट की और उसे ससुराल के घर से जबरन खींचकर ले जाने लगे, रेनू को उसके द्वारा बचाव के लिए शोर मचाने पर गाँव के लोगों ने बड़ी मुश्किल से छुड़ाया। आवेदक/अभियुक्त मोहन व चार अन्य की गिरफ्तारी पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांकित 17.12.2025 के माध्यम से रोक लगाई जा चुकी है। सह–अभियुक्ता श्रीमती गुड्डी देवी (सास) की नियमित जमानत सत्र न्यायालय से स्वीकार की जा चुकी है। आवेदक/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इससे पूर्व अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में न तो लगाया गया है, न खारिज हुआ है और न ही लंबित है, उसका कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है, वह पूर्व सजायाफ्ता नहीं है, उसकी कथित अपराध में कोई भूमिका नहीं है, अतः उसे दौरान मुकदमा अग्रिम जमानत प्रदान की जाय।

4– प्रतिवाद में अभियोजन/वादी पक्ष की ओर से केस डायरी व थाना आख्या को संदर्भित करते हुए मुख्यतः इस आशय के कथन किए गए हैं कि प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त **मोहन सिंह** एवं सह–अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा संजय की पुत्री मौना को दहेज के लिए तंग व उत्पीड़ित करना, अतिरिक्त दहेज में चार पहिए की गाड़ी व आठ तोला सोने की माँग करना, मौना को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, मारना–पीटना, दहेज न देने पर एकराय होकर मौना उर्फ मोनिका को जान से मार देना, वादी व उसके परिजनों द्वारा मृतका मौना उर्फ मोनिका का शव लेने पर उनके साथ मार–पीट करना आदि आक्षेपित है। वादी की पुत्री मौना उर्फ मोनिका का विवाह आवेदक/अभियुक्त के पुत्र संदीप उर्फ संजू के साथ दिनांक 18.04.2025 को हुआ था और अभियुक्त पक्ष द्वारा मौना उर्फ मोनिका व वादी पक्ष से अतिरिक्त दहेज में एक चौपहिया गाड़ी व आठ तोला सोना माँगते हुए मौना उर्फ मोनिका को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा व इसी

क्रम में दिनांक 30.10.2025 को ही अभियुक्त पक्ष द्वारा मौना उर्फ मोनिका की फाँसी लगाकर हत्या/दहेज हत्या कारित कर दी गई। मृतका मौना उर्फ मोनिका की शव विच्छेदन आख्या में उसकी मृत्यु पूर्व चोट के रूप में उसके गले पर एक लिगेचर मार्क पाया गया है और उसकी मृत्यु का कारण लटकने से उसकी दम घुटना बताया गया है। प्रकरण की विवेचना पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र आ चुका है। आवेदक/अभियुक्त, जोकि मृतका का ससुर है, इस अपराध में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, अतः उसका अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाय।

5– अभियुक्त पक्ष की ओर से उक्त प्रतिवाद का कोई समुचित प्रत्युत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है, मात्र यह कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में कोई भूमिका नहीं है।

6– विधि व्यवस्था **अशोक कुमार शर्मा प्रति स्टेट आफ राजस्थान 1980 सी०आर० एल०जे० राजस्थान 54** में माननीय न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि आवेदक प्रथमदृष्टया यह दर्शाने में विफल रहता है कि उसे मात्र लज्जित करने के उद्देश्य से झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया जाएगा तो ऐसी दशा में विफल रहने पर उसकी अंतरिम जमानत स्वीकार नहीं की जानी चाहिए।

अभियुक्त पक्ष को सह–अभियुक्ता श्रीमती गुड्डी देवी की नियमित जमानत स्वीकार होने के तथ्य से इंकार नहीं है, जबकि आवेदक/अभियुक्त **मोहन सिंह** का यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है।

आवेदक/अभियुक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट में स्पष्टतः नामित है और उसकी ओर से कथित रूप से स्वयं को झूठा फँसाए जाने का कोई यथोचित कारण भी दर्शित नहीं किया गया है, अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के प्रकाश में, बिना प्रकरण के गुण–दोष पर जाए, आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई समुचित आधार नहीं है। निष्कर्षतः अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किए जाने योग्य है, निरस्त किया जाता है।

दिनांक–30.03.2026

(विकास कुमार–प्रथम)
सत्र न्यायाधीश, मथुरा।
I.D.No.U.P. 1910

अटल राम चतुर्वेदी